

6/4/16

पञ्जाबली काज लोक अदालत कोर्ट केप. न्याय आदेश हर थाम  
 पचायत मुख्यालय जामोला पर पेश हुई। वादी स्वम उप०  
 प्रतिवादी सख्या ५ के वकील एक प्रतिवादी सख्या २ उप०।  
 प्रतिवादी सख्या ५ के वकील को सुना गया। उसका  
 एतराज रहा कि वाद कायरी के वाद दिनांक 6-2-2014  
 से कादी को प्रतिवादी सं. 1, 3, 5 व 9 की तलबी हेतु  
 अदायगी तलबाना सम्मन 19 अवसर दिमें जा चुके है  
 जो न्याय सिहांत के सर्वथा विपरीत है एसी स्थिति में  
 वादी का वाद आदेश अवहेलना में खारिज किया जावे।  
 मैंने एतराज के परिपेक्ष में पञ्जाबली का अवलोकन  
 किया तो प्रतिवादी वकील का एतराज सही पाया अतः  
 वाद पत्र अदम अदायगी तलबाना सम्मन एवं आदेश  
 अवहेलना में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार  
 हो सम्मर से कम होकर वाद दफ्तर दाखिल है।

पुकारा  
रुके

ज। प्र। म. प्र.  
- 3  
18  
नाथ

उपसपठ अधिकारी  
कसूदा (अजमेर)

